कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,वन एवं वन्य जीव प्रभाग,बरेली।

पत्रांक 367 /14– 1,बरेली,दिनांक, 30 जुलाई, 2018।

सेवा में

मण्डलीय अभियन्ता,
दूर संचार परियोजना (बीएसएनएल)
डी–13/15 देव विहार कालोनी,मुरादाबाद।

विषय :– जनपद बरेली एवं रामपुर में भारत संचार निगम लि0, द्वारा ऑप्टीकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु बरेली में संबन्धी 1.080 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं रामपुर में 0.87 हे0 कुल 1.95 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति संबन्धी प्रस्ताव।

सन्दर्भ:– आपका पत्रांक डीईडीपी/मुरादाबाद/टी–751,दिनांक 25.06.2018 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उत्तर प्रदेश,लखनऊ का पत्रांक 2782/ओएफसी–बीएसएनएल(बरेली/रामपुर)/23650/2017 ,दिनांक 28.03.2018।

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 25.06.2018 जो कि इस कार्यालय में दिनांक 23.07.2018 को प्राप्त हुआ है के द्वारा आपत्तियों के निस्तारण की सूचना प्रेषित करते हुये प्रस्ताव की प्रतियां उपलब्ध करायी गयी है। इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाना है कि मुख्य वन संरक्षक के उक्त पत्र दिनांक 28.03.2018 में इंगित की गयी आपत्तियों का निस्तारण निम्न प्रकार निर्देशानुसार नही किया गया है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपत्तियों के निस्तारण हेतु कृपया किसी पत्र वाहक को भेजकर प्रस्ताव की पाँचों प्रतियाँ मगाने का कष्ट करें। तत्पश्चात बिन्दुवार अपेक्षित सूचनायें/मानचित्र/प्रमाण पत्र आदि अभिलेख निर्देशानुसार तैयार कर एवं ऑन लाईन कार्यवाही पूर्ण कर प्रस्ताव 05 प्रतियों में इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे। प्रभागीय निदेशक,रामपुर से अपेक्षित कार्यवाही हेतु सामंजस्य स्थापित करते हुये प्रस्ताव को पूर्ण कराने का कष्ट करे।

01. प्रस्ताव में प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि की सर्वे आफ इण्डिया की संशोधित टोपो शीट को ऑन लाईन एडीशनल इन्फारमेशन के कालम में अपलोड किया गया है। अतः कृपया इसे संशोधित कर पार्ट–1 के कालम सी में पृथक–पृथक जनपदों की मूल टोपो शीट में अपलोड करने की कृपा करें।

02. प्रस्ताव में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण को इंगित करने वाली सर्वे आफ इण्डिया की मूल टोपो शीट नही लगायी गयी है। अतः मूल टोपो शीट पर प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की भूमि एवं लीजेन्ड इंगित करने का कष्ट करे।

03. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि की उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑन लाईन अपलोड नही किया गया है।

04. प्रस्ताव में प्रयोक्ता विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिया गया वचनबद्धता प्रमाण पत्र पार्ट–2 में प्रभागीय वनाधिकारी,रामपुर के हस्ताक्षर सहित ऑन लाईन अपलोड नही किया गया है।

05. प्रयोक्ता विभाग द्वारा मुख्य प्रपत्र के पार्ट–1 मे शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि जमा करने की वचनबद्धता, मलबा निस्तारण प्रमाण पत्र, मानक शर्तें आदि अपलोड की जानी चाहिये।

(भारत लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पत्रांक 367 /14–1,दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,वन एवं वन्य जीव,बरेली वृत्त,बरेली।

02. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,वन एवं वन्य जीव,मुरादाबाद वृत्त,मुरादाबाद को उनके पत्रांक 269/14–1,दिनांक 23.07.2018 के संज्ञान में।

03. प्रभागीय वनाधिकारी,वन एवं वन्य जीव प्रभाग,रामपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रकरण से सम्बन्धित की जाने वाली कार्यवाहियां अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

(भारत लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

पांच प्रतियां प्रस्ताव की प्राप्त किया

F:(Surveyor सर्वेयर) Forest Land Transfer/ BSNL बी.एस.एन.एल - Atv)